न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.06.2020	14.12.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल निवासी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक
2—मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक
3—श्रीमति उषा देवी गुप्ता पुत्र श्री रामअवतार गुप्ता निवासी ए—ए 11 / 7, रघुनाथ कॉलोनी, गलता गेट जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज सीएचए—4, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर
4—मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज सीएचए—4, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर
5—श्री हरीश नायर नॉमिनी मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. खसरा नं. 310 / 2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात
6—मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. खसरा नं. 310 / 2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री शंकर चौधरी।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 14.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2020 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री घनश्याम दास अग्रवाल ने स्वंय को मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के 3 कार्टून में लगभग 72 मूल पेक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500—500 एम.एल.पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री घनश्याम दास अग्रवाल को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री घनश्याम दास अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)** जिसके बैच नम्बर एस.पी.एस.बी.बी. 227 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 2020 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)** 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक के एक–एक नग के चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2462 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2462 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री घनश्याम दास अग्रवाल मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुऑ टोंक जिला टोंक ने मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज सीएचए–4, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया व मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज सीएचए–4, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर के व्यवहारी ने मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. खसरा नं. 310/2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/950 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/459/एक्ट/2020/522 दिनांक 12.03.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)** सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तामिल हो चुकी है, वे आज अनुपस्थित हैं। अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के अभिभाषक श्री शंकर चौधरी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्रण्ड)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/—(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 15,000/—(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक